# राजस्थान सरकार
## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : निस/निदेशक (जन स्वा0)/2009/ 252 दिनांक 25.12.2009

**परिपत्र**

राज्य में स्वाईन फ्लू की रोकथाम हेतु किये जा रहे सर्वेक्षण दवा वितरण एवं रिपोर्टिंग हेतु निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :—

1. हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान नम्बर ऑफ हाउस विजिटेड के साथ उस घर में कुल व्यक्तियों की संख्या को भी प्रपत्र में दर्शाये तथा सर्वेक्षण के लिए राज्य स्तर से दिया गया प्रपत्र ही उपयोग में लेवे।
2. सर्वेक्षण कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को स्वाईन फ्लू संबंधित सभी जानकारियेां के बाबत् आवश्यक रूप से प्रशिक्षित किया जावे।
3. पूर्व में दिये गये प्रशिक्षण से जो अधिकारी/कर्मचारी वंचित रह गये थे उन्हे भी प्रशिक्षण दिलवाये जाना सुनिश्चित करावे साथ ही अगर पूर्व में दिये गये अधिकारी/कर्मचारियेां को आवश्यकता हो तो उनके लिए पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावे।
4. स्क्रीनिंग सेन्टर (जिला चिकित्सालय, सीएचसी, पीएचसी एवं निजी चिकित्सालय) पर बडे बडे अक्षरो में पढने योग्य आईईसी सामग्री दर्शाई जावे जिससे की चिकित्सालय में आने वाले एवं प्रतिक्षारत व्यक्तियो को उनकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें की सभी चिकित्सा संस्थानों में उपरोक्त रोग बाबत् आईईसी सामग्री उपलब्ध हो।
5. जिले में सभी चिकित्सा अधिकारी स्वाईन फ्लू के दिशा निर्देशो के अनुसार कार्य करें एवं इसकी पालना को व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करे।
6. जिले में पाये गये स्वाईन फ्लू के पॉजिटिव रोगियों को जब ओस्लटामिलिविर औषधि देने के साथ ही उसकी लैब रिपोर्ट पर दवा दे दी गई है का इन्द्राज दिनांक सहित दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।
7. ओस्लटामिलिविर औषधि का वितरण राज्य स्तर से दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार ही करना सुनिश्चित करें।
8. जिले में ओस्लटामिलिविर औषधि की उपलब्धता की दैनिक सूचना निम्न प्रपत्र में ही प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें

| क.स | ओस्लटामिलिविर | प्राप्त की गइ मात्रा | उपयोग ली गई मात्रा | शेष मात्रा (स्टोर +पाईपलाईन) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कैपसूल 75 मिग्रा | | | |
| 2. | कैपसूल 45 मिग्रा | | | |
| 3. | कैपसूल 30 मिग्रा | | | |
| 4. | सिरप 75 एम.एल. | | | |
| 5. | सिरप 25 एम.एल. | | | |

निदेशक (जन स्वा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा/परिवार कल्याण/एड्स), मुख्यालय।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
4. समस्त, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को जारी करें तथा चाही गई सूचनाएँ दैनिक रूप से आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावे।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को पालनार्थ।
6. प्रभारी स्वाईनफ्लू सैल।
7. प्रभारी सैन्ट्रल सर्वर रूम, को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को स्वाईन फ्लू साईट पर अपलोड करावे।

सभी CMHO सम्बन्धित PMOs को copy भिजवायें

निदेशक (जन स्वा)